प्रारूप

राष्ट्रीय शिक्षा नीति **2019**

सार

प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए समिति

अध्यक्ष

के॰ कस्तूरीरंगन, पूर्व अध्यक्ष, इसरो, बेंगलुरू

सदस्य

क. वसुधा कामत, पूर्व कुलपति, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, मुंबई
ख. मंजुल भार्गव, आर॰ ब्रैंडन फ्राड, प्रोफ़ेसर (गणित), प्रिंसटन विश्वविद्यालय, यूएसए
ग. राम शंकर कुरील, पूर्व संस्थापक कुलपति, बाबा साहेब अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश
घ. टी॰ वी॰ कट्टीमनी, कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्य प्रदेश
ङ. कृष्ण मोहन त्रिपाठी, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) और माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष
च. मज़हर आसिफ़, प्रोफ़ेसर, फ़ारसी और मध्य एशियाई अध्ययन केंद्र, स्कूल ऑफ़ लैंग्वेज, साहित्य और संस्कृति अध्ययन, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
छ. एम॰ के॰ श्रीधर, पूर्व सदस्य सचिव, कर्नाटक ज्ञान आयोग, बेंगलुरू, कर्नाटक

सचिव

ज. शकीला टी॰ शम्सू, विशेष कार्याधिकारी (राष्ट्रीय शिक्षा नीति), उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

प्रारूपण समिति के सदस्य

क. मंजुल भार्गव, आर॰ ब्रैंडन फ्राड, प्रोफ़ेसर गणित, प्रिंसटन विश्वविद्यालय, यूएसए
ख. के॰ रामचंद्रन, सलाहकार, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
ग. अनुराग बेहर, सीईओ, अज़ीम प्रेमजी फ़ाउंडेशन और कुलपति, अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय बेंगलुरू
घ. लीना चंद्रन वाडिया, ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन, मुंबई

विज़न

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 भारत-केंद्रित शिक्षा - व्यवस्था की परिकल्पना करती है जो सभी को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके हमारे देश को निरंतर एक न्यायसंगत और जीवंत ज्ञान-समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है।

नीति अवलोकन - मुख्य बिंदु

I. स्कूली शिक्षा

क. प्रारंभिक बाल्यवस्था शिक्षा: नीति शुरुआती वर्षों की महत्ता पर ज़ोर देती है और इसका उद्देश्य 2025 तक 3-6 साल के बीच के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करना है, जिसमें काफ़ी निवेश और नई पहल की गई है।

ख. बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान : कक्षा 1-5 में प्रारंभिक भाषा और गणित पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कक्षा 5 और उसके बाद के प्रत्येक विद्यार्थी को 2025 तक मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान प्राप्त करना चाहिए।

ग. पाठ्यचर्या और शिक्षाशास्त्र: मस्तिष्क विकास और सीखने के सिद्धांतों के आधार पर स्कूली शिक्षा के लिए एक नई विकास-उपयुक्त पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना 5 + 3 + 3 + 4 डिज़ाइन के आधार पर विकसित की गई है। स्कूल में व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के एकीकरण के साथ सभी विषयों - विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, भाषा, खेल, गणित पर समान ज़ोर दिया जाएगा।

घ. सार्वभौमिक पहुँच: नीति का उद्देश्य विभिन्न उपायों के माध्यम से 2030 तक संपूर्ण स्कूली शिक्षा के लिए 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना है।

ङ. समान और समावेशी शिक्षा: नीति में यह सुनिश्चित करने के लिए कई ठोस पहल हैं कि कोई भी बच्चा जन्म या पृष्ठभूमि की परिस्थितियों के कारण सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने का कोई अवसर न खोए । इस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र भी बनाए जाएँगे।

च. शिक्षक: शिक्षकों को मज़बूत, पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से भर्ती किया जाएगा, पदोन्नति योग्यता-आधारित होगी, बहु-स्रोत आवधिक प्रदर्शन मूल्यांकन होगा और शैक्षिक प्रशासक या शिक्षक-प्रशिक्षक बनने के लिए प्रगति-पथ उपलब्ध होंगे।

छ. स्कूल शासन: स्कूलों को स्कूल परिसरों (10-20 पब्लिक स्कूलों के क्लस्टर) में व्यवस्थित किया जाएगा। यह शासन और प्रशासन की मूल इकाई होगी जो सभी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी - बुनियादी ढाँचा, शैक्षणिक (जैसे पुस्तकालय) और लोग (जैसे कला और संगीत शिक्षक) - और साथ ही एक मज़बूत पेशेवर शिक्षक समुदाय।

ज. स्कूलों का विनियमन: हितों के टकराव को समाप्त करने के लिए अलग-अलग निकायों द्वारा स्कूलों का विनियमन और संचालन किया जाएगा। नीति-निर्माण, नियमन, संचालन और शैक्षणिक मामलों के लिए स्पष्ट अलग-अलग व्यवस्थाएँ होंगी।

II. उच्च शिक्षा

क. नया प्रारूप : उच्च शिक्षा के लिए एक नए विज़न और प्रारूप की परिकल्पना बड़े, सुव्यवस्थित, जीवंत बहु-विषयक संस्थानों के साथ की गई है। वर्तमान 800 विश्वविद्यालयों और 40,000 कॉलेजों को लगभग 15,000 उत्कृष्ट संस्थानों में समेकित किया जाएगा।

ख. उदार शिक्षा: विज्ञान, कला, मानविकी, गणित और पेशेवर क्षेत्रों के लिए एकीकृत, कठिन अवसर के लिए स्नातक स्तर पर एक व्यापक-आधार उदार कला शिक्षा को रखा जाएगा। इसमें कल्पनाशील और लचीली पाठ्य संरचना, अध्ययन के रचनात्मक संयोजन, व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण और कई प्रवेश / निकास बिंदु होंगे।

ग. गवर्नेंस: संस्थागत शासन शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता पर आधारित होगा । प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान एक स्वतंत्र बोर्ड द्वारा शासित होगा।

घ. विनियमन: वित्तीय सत्यनिष्ठा और जन-उत्साह को सुनिश्चित करने के लिए विनियमन 'लाइट बट टाइट' होगा। हितों के टकराव को खत्म करने के लिए मानक व्यवस्था, वित्तपोषण, प्रत्यायन और विनियमन का संचालन स्वतंत्र निकायों द्वारा किया जाएगा।

III. शिक्षक शिक्षा

शिक्षक तैयारी कार्यक्रम कठोर होंगे और जीवंत, बहु-विषयक उच्च शिक्षा संस्थाओं में होंगे। बहु-विषयक संस्थाओं में प्रदान की जाने वाली 4-वर्षीय एकीकृत चरण-विशिष्ट, विषय-विशिष्ट शिक्षा स्नातक (बैचलर ऑफ़ एजुकेशन) एक अध्यापक बनने का प्रमुख तरीका होगा। निम्न स्तर के और बेकार अध्यापक शिक्षण संस्थान बंद किए जाएंगे।

IV. पेशेवर शिक्षा

संपूर्ण पेशेवर शिक्षा उच्च शिक्षा व्यवस्था का एक अभिन्न अंग होगी। स्टैंड-अलोन तकनीकी विश्वविद्यालयों, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयों, कानूनी और कृषि विश्वविद्यालयों- इन क्षेत्रों या अन्य क्षेत्रों में संस्थाओं को बंद कर दिया जाएगा।

V. व्यावसायिक शिक्षा

यह सम्पूर्ण शिक्षा का एक अभिन्न अंग होगी - इस नीति का उद्देश्य 2025 तक सभी शिक्षार्थियों के कम से कम 50% के लिए व्यावसायिक शिक्षा तक पहुँच प्रदान करना है।

VI. राष्ट्रीय अनुसंधान संस्था

देश भर में अनुसंधान और नवाचार को उत्प्रेरित और विस्तारित करने के लिए एक नई इकाई स्थापित की जाएगी।

VII. शिक्षा में प्रौद्योगिकी

इस नीति का लक्ष्य कक्षा प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने, शिक्षक पेशेवर विकास का समर्थन करने, वंचित समूहों के लिए शैक्षिक पहुँच बढ़ाने और शैक्षिक योजना, प्रशासन और प्रबंधन को कारगर बनाने के लिए शिक्षा के सभी स्तरों में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना है।

VIII. प्रौढ़ शिक्षा

इस नीति का लक्ष्य 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता प्राप्त करना है।

IX. भारतीय भाषाओं को बढ़ावा

नीति सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण, विकास और जीवंतता को सुनिश्चित करेगी।

X. शिक्षा का वित्तपोषण

सार्वजनिक शिक्षा के विस्तार और इसे महत्वपूर्ण बनाने के लिए पर्याप्त सार्वजनिक निवेश होगा।

XI. राष्ट्रीय शिक्षा आयोग

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या नेशनल एजुकेशन कमीशन का गठन, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया जाएगा - यह भारत में शिक्षा के दृष्टिकोण का संरक्षक होगा।

नीति विवरण - मुख्य बिंदु

स्कूली शिक्षा

1. प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को मज़बूत करना

उद्देश्य : वर्ष 2025 तक 3-6 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को नि:शुल्क, सुरक्षित, उच्च गुणवत्तापूर्ण, विकासात्मक स्तर के अनुरूप देखभाल और शिक्षा तक पहुँच हो।

नीति प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की महत्ता और एक व्यक्ति के लिए जीवनपर्यन्त इसके लाभों की अटलता पर ज़ोर देती है।

क. बाल्यावस्था शिक्षा के लिए **महत्वपूर्ण विस्तार और सुविधाओं का सशक्तिकरण** स्थानीय ज़रूरतों, भूगोल और मौजूदा बुनियादी ढांचे पर एक बहु-आयामी दृष्टिकोण के माध्यम से होगा।

ख. विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित जिलों / स्थानों पर विशेष ध्यान और प्राथमिकता दी जाएगी। गुणवत्ता और प्रतिफलों की उपयुक्त निगरानी के लिए प्रक्रियाएँ स्थापित की जाएंगी।

ग. बाल्यावस्था शिक्षा पर शिक्षकों और माता-पिता दोनों के लिए अभिप्रेत एक पाठ्यचर्यात्मक एवं शिक्षाशास्त्रीय रूपरेखा विकसित की जाएगी। रूपरेखा में 0-3 वर्ष के बच्चों की उपयुक्त संज्ञानात्मक उत्प्रेरणा और 3-8 वर्ष के बच्चों के लिए शैक्षिक दिशानिर्देश शामिल होंगे।

घ. शिक्षार्थी-अनुकूल वातावरण का डिज़ाइन और चरण-विशिष्ट प्रशिक्षण, परामर्श और निरंतर पेशेवर विकास और कैरियर मानचित्रण के अवसरों के माध्यम से प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण वाले शिक्षकों के व्यावसायीकरण का भी कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

ङ. प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के सभी पहलू **शिक्षा मंत्रालय** के दायरे में आएंगे (जैसा कि वर्तमान मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदला जाएगा), प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को स्कूली शिक्षा के साथ प्रभावी रूप से जोड़ना - संयुक्त रूप से एक पारगमन योजना को शिक्षा, महिला और बाल विकास, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालयों द्वारा 2019 तक अंतिम रूप दिया जाएगा।

च. अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सम्पूर्ण प्री-स्कूल शिक्षा (निजी, सार्वजनिक और परोपकारक) को कवर करने के लिए एक प्रभावी **गुणवत्ता विनियमन या प्रत्यायन व्यवस्था** स्थापित की जाएगी।

छ. माता-पिता बड़े पैमाने पर हिदायत और जानकारी के व्यापक प्रसार के माध्यम से **हितधारकों से माँग** उत्पन्न करेंगे ताकि माता-पिता अपने बच्चों की सीखने की ज़रूरतों का सक्रिय रूप से समर्थन कर सकें।

ज. **शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009** को नि:शुल्क और अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए 3 से 6 वर्ष के सभी बच्चों तक विस्तारित जाएगा।

2. सभी बच्चों के बीच बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान सुनिश्चित करना

उद्देश्य: 2025 तक, कक्षा 5 और उसके बाद के प्रत्येक विद्यार्थी बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान प्राप्त करे।

यह नीति प्रारंभिक भाषा और गणित के संबंध में सीखने के गंभीर संकट को मानती है और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।

क. पोषण और सीखने का अटूट संबंध है। **मध्याह्न भोजन** कार्यक्रम का **विस्तार** किया जाएगा- पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को पौष्टिक नाश्ता और मध्याह्न भोजन दोनों प्रदान किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के व्यय को परोसे गए भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य लागत और मुद्रास्फीति के साथ जोड़ा जाएगा।

ख. **कक्षा 1-5 में बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान पर अधिक फोकस** के साथ-साथ अनुकूलित मूल्यांकन और गुणवत्तापूर्ण सामग्री की उपलब्धता की एक मज़बूत व्यवस्था पर ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पोर्टल पर भाषा और गणित संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध होगा।

ग. शिक्षकों के लिए सहायक के रूप में सेवा करने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप का संचालन किया जाएगा और सार्वजनिक और स्कूल पुस्तकालयों में पढ़ने और संप्रेक्षण की संस्कृति का निर्माण करने के लिए विस्तार किया जाएगा।

घ. ग्रेड 1 के सभी विद्यार्थी तीन महीने की अवधि के स्कूली तैयारी मॉड्यूल से गुजरेंगे।

ङ. बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान पर नए सिरे से ज़ोर देने के लिए **शिक्षक शिक्षा** को पुनः डिज़ाइन किया जाएगा ।

च. **नेशनल ट्यूटर प्रोग्राम** (जिसमें पीयर ट्यूटर शामिल हैं) और **एक उपचारात्मक अनुदेशीय सहायक कार्यक्रम (रेमेडियल इंस्ट्रक्शनल ऐड्स प्रोग्राम)** (समुदाय से इंस्ट्रक्टर्स लेते हुए) प्रारंभ किए जाएँगे।

छ. प्रत्येक स्कूल के स्तर पर 30: 1 के तहत् विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात सुनिश्चित किया जाएगा।

ज. **सामाजिक कार्यकर्ता और परामर्शदाता** सभी बच्चों के ठहराव (रिटेंशन) और मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में मदद करेंगे, **माता-पिता की** भागीदारी और **स्थानीय समुदाय एवं स्वयंसेवकों के एकत्रीकरण को** सशक्त कर बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान से संबंधित नीतिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सुनिश्चित किया जाएगा।

3. सभी स्तरों पर शिक्षा में सार्वभौमिक पहुँच और ठहराव (रिटेंशन) सुनिश्चित करना

उद्देश्य: 2030 तक 3-18 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा तक पहुँच और भागीदारी प्राप्त करना।

नामांकन में प्रगति को ध्यान में रखते हुए, यह नीति स्कूल में बच्चों को बनाए रखने में हमारी असमर्थता पर चिंता व्यक्त करती है।

क. विभिन्न उपायों के माध्यम से पूर्व-विद्यालयी (प्री-स्कूल) से माध्यमिक विद्यालय तक 100% **सकल नामांकन अनुपात** को 2030 तक पूरा किया जाना है।

ख. सभी विद्यार्थियों, विशेषकर बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, मौजूदा स्कूलों में इंटेक वृद्धि के माध्यम से, कम प्रदत्त/अप्रदत्त स्थानों पर नई सुविधाओं को विकसित करने और परिवहन और छात्रावास सुविधाओं के माध्यम से समर्थित स्कूल तर्कसंगतकरण द्वारा **पहुँच अंतरालों** को भरा जाएगा।

ग. **सभी बच्चों की भागीदारी और अधिगम** को नामांकित बच्चों की उपस्थिति एवं सीखने के प्रतिफलों पर नज़र रखने, शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और परामर्शदाताओं द्वारा ड्रॉप-आउट और आउट-ऑफ़-स्कूल बच्चों पर नज़र रखना, और स्कूल-बाहर के किशोरों के दीर्घकालिक कार्यक्रम के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। औपचारिक और गैर-औपचारिक तरीकों को शामिल करते हुए सीखने के लिए बहु मार्ग, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा और प्रौद्योगिकी मंचों को मज़बूत करने के साथ उपलब्ध होंगे।

घ. स्वास्थ्य मुद्दों के कारण विद्यार्थियों के स्कूल में उपस्थित न हो पाने के मामले में यथाशीघ्र उन्हें **स्कूल में वापस आने** के लिए **सुनिश्चित** करने के उपायों में स्कूलों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को काम पर रखना, छात्रों, अभिभावकों और व्यापक तौर पर समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करना और उन्हें उपयुक्त स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना होगा।

ङ. **शिक्षा का अधिकार अधिनियम** की आवश्यकताओं को सुरक्षा (शारीरिक और मनोवैज्ञानिक), पहुँच और समावेश, स्कूलों के गैर-लाभकारी प्रकृति और सीखने के प्रतिफलों के लिए न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करते हुए काफ़ी कम प्रतिबंधात्मक बनाया जाएगा। यह सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के लिए स्कूल शुरू करना आसान बनाते हुए स्थानीय विविधताओं और वैकल्पिक मॉडलों को अनुमति देता है।

च. **शिक्षा का अधिकार अधिनियम** पूर्व-विद्यालयी (प्री-स्कूल) से कक्षा 12 तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए **विस्तारित** किया जाएगा।

4. स्कूली शिक्षा के लिए नई पाठ्यचर्यात्मक और शिक्षाशास्त्रीय संरचना

उद्देश्य: रटकर सीखने को कम करने और इसके बजाय समग्र विकास तथा 21 वीं सदी के कौशल जैसे- आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, संचार, सहयोग, बहुभाषिकता, समस्या-समाधान, नैतिकता, सामाजिक ज़िम्मेदारी और डिजिटल साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षाशास्त्र को 2022 तक परिवर्तित किया जाएगा।

स्कूली शिक्षा की पाठ्यचर्यात्मक और शिक्षाशास्त्रीय संरचना को शिक्षार्थियों के लिए विभिन्न चरणों में उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं और हितों के लिए इसे उत्तरदायी और प्रासंगिक बनाने के लिए पुनर्गठित किया जाएगा।

क. अतएव स्कूली शिक्षा की पाठ्यचर्यात्मक और शिक्षाशास्त्रीय तथा विद्यालय शिक्षा की पाठ्यचर्या की रूपरेखा को **5+3+3+4 डिज़ाइन** द्वारा निर्देशित की जाएगी।

- फ़ाउंडेशनल चरण (आयु 3-8 वर्ष): तीव्र मस्तिष्क विकास; खेल और सक्रिय खोज के आधार पर सीखना
- प्रीपेरेटरी चरण (8-11 वर्ष): खेल और खोज पर निर्माण; संरचित अधिगम के लिए पारगमन शुरू करें
- मध्य चरण (11-14 वर्ष): विषयों में संकल्पना सीखना ; किशोरावस्था को मार्गदर्शित करना शुरू करें
- माध्यमिक चरण (14-18 वर्ष): आजीविका और उच्च शिक्षा के लिए तैयारी; युवा प्रौढ़ता में पारगमन

ख. माध्यमिक चरण में चार वर्षीय बहु-विषयक अध्ययन शामिल होंगे। साथ ही इसमें विषय-गहनता, आलोचनात्मक चिंतन, जीवन आकांक्षाओं के प्रति ध्यान पर बल होगा जिसमें विद्यार्थी की पसंद के अनुसार लचीलापन रहेगा।

ग. संपूर्णतावादी विद्यार्थियों को विकसित करने के लिए स्कूली शिक्षा की सामग्री और प्रक्रिया को फिर से तैयार किया जाएगा। महत्वपूर्ण संकल्पनाओं और आवश्यक विचारों के अनुरूप पाठ्यचर्या अधिभार कम किया जाएगा, इससे गहन और अधिक अनुभवात्मक अधिगम के लिए गुंजाइश उत्पन्न होगी।

घ. सभी विद्यार्थियों को भाषाओं में प्रवीणता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सौंदर्यबोध और कला की भावना, संप्रेषण, नैतिक तर्क, डिजिटल साक्षरता, भारत का ज्ञान और स्थानीय समुदायों, देश और दुनिया के सामने आने वाले जटिल मुद्दों का ज्ञान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

ङ. एक **लचीली पाठ्यचर्या**- पाठ्यचर्या, सह-पाठयचर्या या पाठ्येतर क्षेत्रों; कला और विज्ञान, और 'व्यावसायिक' और 'शैक्षिक' विषयधाराओं के स्पष्ट पृथक्करण के बिना माध्यमिक स्कूल स्तर पर विषय क्षेत्रों को बदलने की संभावना के साथ विद्यार्थी की पसंद को सक्षम करेगा।

च. कम से कम कक्षा 5 तक लेकिन प्राथमिकत: कक्षा 8 तक, जहां भी ज़रूरी हुआ एक लचीले (द्विभाषी) भाषा-दृष्टिकोण के साथ शिक्षा **स्थानीय भाषा / मातृभाषा** में होगी।

छ. उच्च गुणवत्तापूर्ण वाली पाठ्यपुस्तकों को आवश्यकता और व्यवहार्यता अनुसार स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सामग्री विकसित की जाएगी।

ज. पूरे देश में सौहार्द से **त्रिभाषा सूत्र** लागू किया जाएगा; भाषा शिक्षकों के विकास और भर्ती के लिए विशेष उपाय किए जाएँगे।

झ. **व्यावसायिक** कौशल और कक्षा 6-8 में शिल्प कौशल पर एक वर्षीय सर्वेक्षण पाठ्यक्रम लेने वाले सभी विद्यार्थियों के साथ व्यावसायिक अवसर जल्दी शुरू होंगे। कक्षा 9-12 में, बच्चों के पास 'मिक्स एंड मैच' के विकल्प के साथ, अधिक पारंपरिक शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तक पहुँच होगी।

ञ. **राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा** को 2020 के अंत तक पुन:रीक्षित और संशोधित किया जाएगा, और सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध करवाया जाएगा। नई **पाठ्यपुस्तकों** का निर्माण किया जाएगा और उच्च गुणवत्तापूर्ण **अनुवाद** किए जाएंगे।

ट. विद्यार्थी के विकास का समर्थन करने के लिए **मूल्यांकन** में बदलाव किया जाएगा। सभी परीक्षाएं (बोर्ड परीक्षाओं सहित) उच्च स्तरीय क्षमताओं के साथ ही मूल कौशलों तथा संकल्पनाओं और कौशल का परीक्षण करेंगी। वर्ष 2025 तक, मध्य विद्यालय स्तर और उससे ऊपर का मूल्यांकन अनुकूलित कम्प्यूटरीकृत परीक्षण के माध्यम से होगा। वर्ष 2020/2021 के बाद से, स्वायत्त राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी विभिन्न विषयों में अभिरूचि परीक्षण (एप्टीट्यूड टेस्ट) और परीक्षण का प्रबंधन करेगी, जिससे वर्ष के दौरान एक से अधिक अवसरों पर भाग लिया जा सकेगा ।

ठ. स्कूल से लेकर जिला स्तर, आवासीय गीष्मकालीन कार्यक्रमों और ओलंपियाड तथा प्रतियोगिताओं में विषय-केंद्रित और प्रोजेक्ट-आधारित क्लबों के माध्यम से विलक्षण प्रतिभाओं और रुचियों की पहचान कर सँजोया जाएगा ।

5. शिक्षक - परिवर्तन की मशाल

उद्देश्य : सुनिश्चित करना कि स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर सभी विद्यार्थियों का शिक्षण उत्साहित, प्रेरित, उच्च योग्यताप्राप्त, पेशेवर रूप से प्रशिक्षित और निपुण शिक्षकों द्वारा सिखाया हो।

यह नीति शिक्षकों को 'हमारे समाज के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों और परिवर्तन के मशालवाहकों' के रूप में परिकल्पित करती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के किसी भी प्रयास की सफलता शिक्षक की गुणवत्ता पर निर्भर है।

क. चार वर्षीय एकीकृत शिक्षा स्नातक कार्यक्रम (बी॰एड॰ प्रोग्राम) करने के लिए सुविधाविहीन, ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्रों के उत्कृष्ट विद्यार्थियों को सक्षम करने के लिए **योग्यता-आधारित छात्रवृत्ति** की स्थापना की जाएगी। कुछ मामलों में उनके स्थानीय क्षेत्रों में रोजगार की सुनिचितता होगी। महिला विद्यार्थियों पर विशेष रूप से लक्ष्य किया जाएगा।

ख. **शिक्षकों की भर्ती** सभी स्कूलों में व्यापक शिक्षक आवश्यकता योजना के आधार पर एक मज़बूत प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी, जिसमें विविधता सुनिश्चित करते हुए स्थानीय शिक्षकों और स्थानीय भाषा में धाराप्रवाह शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। पहला चरण एक पुनः डिज़ाइन की गई शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी, इसके बाद साक्षात्कार और शिक्षण प्रदर्शन होगा। शिक्षकों को जिले में भर्ती किया जाएगा, जैसा कि अब कई राज्यों में किया जाता है, और एक स्कूल परिसर में नियुक्त किया जाएगा, और आदर्श रूप से पारदर्शी प्रौद्योगिकी-आधारित प्रणाली के माध्यम से एक निश्चित कार्यकाल और नियम-आधारित स्थानान्तरण किया जाएगा। उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

ग. **पैरा-टीचर्स** (अयोग्य, अनुबंध शिक्षकों) की प्रथा को 2022 तक पूरे देश में बंद कर दिया जाएगा।

घ. **सतत शिक्षक पेशेवर विकास** एक लचीले और मॉड्यूलर दृष्टिकोण पर आधारित होगा, जिसमें शिक्षक चुन सकते हैं कि वे क्या सीखना चाहते हैं और वे इसे कैसे सीखना चाहते हैं। शुरुआती शिक्षक को शामिल करने पर ध्यान दिया जाएगा और परामर्श की प्रक्रियाओं को स्थापित किया जाएगा। राज्यों को पसंद-आधारित पेशेवर विकास को सक्षम करने और प्रत्येक शिक्षक के पेशेवर प्रक्षेप पथ को ट्रैक करने के लिए एक प्रौद्योगिकी-आधारित प्रणाली को अपनाना चाहिए। पाठ्यचर्या का कोई केंद्रीकृत निर्धारण, कोई कैस्केड-मॉडल प्रशिक्षण और कोई कठोर मानक नहीं होंगे। इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए संसाधन व्यक्तियों को सावधानीपूर्वक चुना जाएगा, प्रभावी रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा और उनकी भूमिका को पर्याप्त कार्यकाल दिया जाएगा।

ङ. **शिक्षकों के काम को सुविधाजनक** बनाने के लिए वांछित छात्र-शिक्षक अनुपात के साथ पर्याप्त भौतिक बुनियादी ढाँचा, सुविधाओं और सीखने के संसाधनों को सुनिश्चित किया जाएगा। सभी विद्यार्थी सीख़ें - यह सुनिश्चित करने में शिक्षकों की मदद करने के लिए सभी स्तरों पर उपचारात्मक कार्यक्रम स्थापित किए जाएँगे।

च. सभी शिक्षकों को स्कूल के समय (जैसे कि मध्याह्न भोजन पकाना, स्कूल की आपूर्ति की खरीद आदि) के दौरान गैर-शिक्षण गतिविधियों के रूप में **बिना किसी रुकावट के पढ़ाने** में सक्षम होना चाहिए।ऐसा होने पर शिक्षकों को बिना कारण के स्कूल से अनुपस्थित रहने या स्वीकृत अवकाश पर न होने के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।

छ. प्रत्येक **मुख्य शिक्षक और / या स्कूल के प्रधानाचार्य स्कूल की मज़बूत विकास प्रक्रियाओं और स्कूल समर्थक संस्कृति के निर्माण के लिए ज़िम्मेदार** होंगे। स्कूल प्रबंधन समिति को संवेदनशील बनाया जाएगा और स्कूल शिक्षा निदेशालय के अधिकारी इस तरह की संस्कृति का समर्थन करने के लिए अपने कामकाज पर पुनः विचार करेंगे।

ज. सभी विद्यार्थियों के समावेश को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय भाषाओं में शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए **उच्च गुणवत्तापूर्ण सामग्री** को प्राथमिकता दी जाएगी।

झ. सभी मौजूदा शैक्षिक सहायता संस्थानों का कायाकल्प करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना के साथ **शैक्षिक सहायता संस्थानों का कायाकल्प** करने को प्राथमिकता दी जाएगी।

ञ. सभी शिक्षक न्यूनतम शिक्षण वर्षों के अनुभव के बाद **शैक्षिक प्रशासन या शिक्षक शिक्षा में प्रवेश** कर सकेंगे। दीर्घावधि, सभी शैक्षिक प्रशासनिक पदों को उन उत्कृष्ट शिक्षकों के लिए आरक्षित किया जाएगा जो प्रशासन में रुचि रखते हैं।

6. देश में हर बच्चे के लिए समान और समावेशी शिक्षा

इस नीति का उद्देश्य एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था तैयार करना है जो भारत के सभी बच्चों को लाभान्वित करे ताकि कोई भी बच्चा जन्म या पृष्ठभूमि की परिस्थितियों के कारण सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने का कोई भी अवसर न खोए।

उद्देश्य: एक समावेशी और समान शिक्षा व्यवस्था स्थापित करना ताकि सभी बच्चों को सीखने और सफल होने का समान अवसर मिले, ताकि 2030 तक सभी लैंगिक और सामाजिक वर्गों की शिक्षा में भागीदारी और सीखने के प्रतिफलों के स्तर पर समानता हो।

क. प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान, स्कूल तक पहुँच, नामांकन और उपस्थिति से संबंधित नीतिगत कार्यवाही को **कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों** के विद्यार्थियों के लिए लक्षित ध्यान और समर्थन प्राप्त होगा।

ख. पूरे देश में सुविधावंचित क्षेत्रों में **विशेष शिक्षा क्षेत्र** स्थापित किए जाएंगे। राज्यों को इन क्षेत्रों को स्पष्ट सामाजिक विकास और सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के आधार पर घोषित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और केंद्र सरकार राज्य द्वारा खर्च किए गए प्रत्येक रुपये के लिए 2:1 के अनुपात में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। मुख्य विचार होगा कि केंद्र और राज्यों द्वारा सघन संयुक्त निगरानी के साथ इन क्षेत्रों में वही करवाया जाएगा जो इस नीति में अल्प-प्रतिनिधित्व वाले समूहों को शामिल करने के लिए कहा गया है।

ग. कुछ **प्रमुख पहल है- शिक्षकों** को निरंतर संवेदनशील बनाते हुए उनकी क्षमताओं का विकास करना, शैक्षिक रूप से कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों से शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाना, शैक्षिक रूप से कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों से शिक्षार्थियों के उच्च अनुपात के साथ स्कूलों में **विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात** को 25:1 तक सीमित करना, तंत्र की स्थापना के माध्यम से **स्कूल के समावेशी वातावरण** का निर्माण करना जो उत्पीड़न, धमकी और लिंग आधारित हिंसा को संबोधित करता हो और बहिष्करण प्रथाओं को खत्म करता हो, इसे समावेशी बनाने के लिए पाठ्यचर्या को संशोधित करता हो।

घ. केंद्रीय शैक्षिक सांख्यिकी प्रभाग द्वारा किए गए **डेटा विश्लेषण** के साथ, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अद्यतित जानकारी को शैक्षिक डेटा के राष्ट्रीय भंडार में रखा जाएगा।

ङ. यह नीति विशेष रूप से कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों से विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, विकासशील संसाधन और सुविधाएं प्रदान करने के लिए बनाए गए एक राष्ट्रीय कोष के माध्यम से **विशिष्ट विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता** प्रदान करती है तथा लक्षित वित्तपोषण और जिलों एवं संस्थानों के समावेशन और पहुँच का भी समर्थन करती है। समर्थन के वैकल्पिक साधनों में नेशनल ट्यूटर्स प्रोग्राम और उपचारी शिक्षा सहायिकी कार्यक्रम में भर्ती, मध्याह्न भोजन के अलावा नाश्ता और विशेष इंटर्नशिप के अवसर शामिल हैं। **समावेशी शिक्षा पर अनुसंधान** के लिए वित्तपोषण भी प्रदान किया जाएगा।

च. स्कूली शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच **लैंगिक असंतुलन** को दूर करने के लिए महिलाओं की भागीदारी और बालिका शिक्षा, आदिवासी, जाति और धर्म-आधारित समूहों की शिक्षा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इन समुदायों के बच्चों को उनके लिए निर्धारित सभी लाभ प्राप्त हों, शहरी गरीब परिवारों के बच्चों की शिक्षा जिससे शहरी गरीब क्षेत्रों में जीवन को दिशा देने और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा के साथ-साथ ट्रांसजेंडर बच्चों की बुनियादी स्तर से कक्षा 12 तक पड़ोस के स्कूलों में मुख्यधारा के बच्चों के साथ सतत एवं नवीकृत फोकस, इस नीति में अन्य उदाहरणात्मक हस्तक्षेप हैं।

7. स्कूल परिसरों के माध्यम से स्कूली शिक्षा में गवर्नेंस (शासन)

उद्देश्य : स्कूलों को स्कूल परिसर का रूप दिया जाना जिससे संसाधनों का साझा उपयोग सुगम बने और स्कूल गवर्नेंस (शासन) अधिक स्थानीय, प्रभावी और कुशल बने।

स्कूल परिसरों की स्थापना से कई संसाधन कमी की समस्याओं को कम करने में मदद मिलेगी जिनका सामना वर्तमान में पब्लिक स्कूल, विशेष रूप से छोटे स्कूल करते हैं। चूँकि कई पब्लिक स्कूलों को एक ही संगठनात्मक और प्रशासनिक इकाई में एक साथ लाया जाएगा, इसलिए स्कूलों के भौतिक स्थानांतरण की आवश्यकता के बिना, विद्यार्थियों तक पहुँच बाधाओं से समझौता किए बिना प्रभावी प्रशासनिक इकाइयों को बनाने में मदद मिलेगी।

क. जनसंख्या वितरण, संपर्क और अन्य स्थानीय महत्वों के अनुसार राज्य सरकारें 2023 तक स्कूलों को **परिसरों में समूहन** करेंगी। समूह अभ्यास में बहुत कम नामांकन वाले स्कूलों की समीक्षा और समेकन शामिल होगा (जैसे <20 विद्यार्थी)। इसी समय, परिवहन के प्रावधान जैसे उपायों के माध्यम से प्रक्रिया में पहुँच प्रभावित नहीं होगी। यह राज्यों के लिए मौजूदा स्कूलों की स्थिति का आकलन करने का एक अवसर भी होगा।

ख. स्कूल परिसर छोटे स्कूलों के अलगाव को समाप्त कर देंगे और **शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का एक समुदाय** बनाएंगे जो एक साथ काम कर सकते हैं और एक-दूसरे का समर्थन कर सकते हैं- शैक्षिक और प्रशासनिक रूप से। स्कूल परिसर पब्लिक स्कूल व्यवस्था की प्राथमिक प्रशासनिक इकाई होगी।

ग. एक स्कूल परिसर में लगभग 10-20 सार्वजनिक स्कूलों का एक समूह होगा, जो एक प्रारंभिक / सन्निहित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर प्रारंभिक संस्थापक चरण से कक्षा 12 तक शिक्षा प्रदान करता है। माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य विद्यालय परिसर के प्रमुख होंगे।

घ. प्रत्येक स्कूल परिसर एक **अर्ध-स्वायत्त इकाई** होगा जो प्रारंभिक आधारभूत स्तर से 12 वीं कक्षा तक एक माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 9-12) तक शिक्षा प्रदान करेंगे और सभी सार्वजनिक स्कूल अपने पड़ोस में बुनियादी/प्रारंभिक और मिडिल विद्यालय की शिक्षा प्रदान करेंगे।

ङ. स्कूल परिसरों में स्कूलों के समूहन के लिए विषय शिक्षकों, खेल, संगीत और कला शिक्षकों, काउंसलर और सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित स्कूलों में संसाधनों को साझा करने में सक्षम होंगे। यह भौतिक संसाधनों जैसे प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, आईसीटी उपकरण, संगीत वाद्ययंत्र, खेल उपकरण, खेल क्षेत्र, आदि का एक सुव्यवस्थित साझाकरण करेगा जिससे सार्वजनिक संसाधनों की सुविधाओं का अधिकतम उपयोग होगा।

च. **शैक्षिक सुविधाओं का एक सुसंगत सेट** बनाना लक्ष्य है जिसमें प्रारंभिक तीन साल की शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूल, व्यावसायिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएँ , शिक्षक सहायक संस्थाएँ और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए सहायता जो एक अच्छी तरह से जुड़े भौगोलिक क्षेत्र में स्थित हैं और उनके काम में एक-दूसरे का साथ दे सकते हैं। जिले में उच्च शिक्षा संस्थान भी सहायता प्रदान करेगा, जैसे- शिक्षक के पेशेवर विकास में सहायता।

छ. प्रत्येक परिसर के लिए एक **व्यापक शिक्षक विकास योजना** तैयार की जाएगी और साथी से सीखने वाले समुदायों को साप्ताहिक बैठकों, शिक्षक शिक्षण केंद्रों जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से सचेत रूप से विकसित और निरंतर बनाकर रखा जाएगा। इसके अलावा, सतत पेशेवर विकास के अन्य तरीके प्रदान किए जाएंगे, जैसे कि सेमिनार, इन-क्लास मेंटरिंग, एक्सपोज़र विज़िट, आदि। शैक्षणिक और शिक्षक सहायता व्यवस्था , जिसमें जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान और ब्लॉक और क्लस्टर संसाधन केंद्र शामिल हैं, इन्हें स्कूल परिसर व्यवस्था के अनुरूप व्यवस्थित किया जाएगा।

ज. प्रत्येक स्कूल परिसर में एक **विद्यालय परिसर प्रबंधन समिति** होगी जिसमें परिसर के सभी स्कूलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। साथ ही परिसर से जुड़ी अन्य संस्थाएं जिनमें प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, क्लस्टर संसाधन केंद्र और इसी प्रकार अन्य शामिल होंगे। समिति को राज्य और उसके निकायों के साथ स्कूल की ओर से हस्तक्षेप करने के लिए आवाज़ उठाने का अधिकार होगा। यह शिक्षकों के प्रदर्शन प्रबंधन में केंद्रीय भूमिका भी निभाएगी।

झ. प्रत्येक स्कूल अपनी योजनाओं को विकसित करेंगे, जिसका उपयोग **स्कूल परिसर की योजना** का निर्माण करने के लिए किया जाएगा, जिसे आगे स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समर्थित किया जाएगा। प्रत्येक जिले में स्कूल व्यवस्था की देखरेख, उनके कामकाज और सशक्तिकरण को सामर्थ्यपूर्ण बनाने के लिए एक **जिला शिक्षा परिषद (डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन काउंसिल)** भी होगी।

8. स्कूली शिक्षा का विनियमन

उद्देश्य : भारत की स्कूल शिक्षा प्रणाली प्रभावी विनियमन और प्रत्यायन तंत्र के माध्यम से मजबूत होती है जो सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है और शैक्षिक परिणामों में लगातार सुधार के लिए गुणवत्ता और नवाचार को बढ़ावा देती है।

विनियमन को शैक्षिक सुधार का एक इंजन बनकर भारत की स्कूल शिक्षा व्यवस्था को ऊर्जावान बनाना चाहिए।

क. हितों के टकराव को खत्म करने के लिए अलग-अलग निकायों द्वारा स्कूलों (सेवा प्रावधान) का विनियमन और संचालन किया जाएगा। **नीति निर्धारण, विनियमन, संचालन और शैक्षणिक मामलों के लिए स्पष्ट, अलग-अलग व्यवस्थाएँ** होंगी।

ख. प्रत्येक राज्य के लिए एक स्वतंत्र राज्य-व्यापी नियामक निकाय, जिसे **राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण** कहा जाता है, को अर्ध-न्यायिक दर्जे के साथ बनाया जाएगा, जबकि पूरे राज्य की सार्वजनिक विद्यालयी व्यवस्था का संचालन विद्यालय शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जाएगा।

ग. **विनियमन** एक स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रत्यायन रूपरेखा द्वारा सूचित **प्रत्यायन की व्यवस्था पर आधारित होगा**। रूपरेखा केवल बुनियादी मापदंडों को संबोधित करेगा, और आगे स्कूल शुरू करने के लिए लाइसेंस को सूचित करेगा। जबकि स्कूल स्व-प्रत्यायन प्राप्त करेंगे, ऑडिट का एक तंत्र स्थापित किया जाएगा। यह प्रक्रिया सार्वजनिक और निजी दोनों स्कूलों पर लागू होगी।

घ. विनियमन का प्रवर्तन वर्तमान निरीक्षक दृष्टिकोण द्वारा संचालित नहीं किया जाएगा; इसके बजाय, **माता-पिता** स्कूलों से संबंधित सभी प्रासंगिक जानकारी सार्वजनिक डोमेन में होने के कारण वास्तविक रूप से नियामक बन जाएँगे।

ङ. राज्य में मानक स्थापित करने और पाठ्यक्रम सहित शैक्षणिक मामलों का नेतृत्व राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा किया जाएगा। स्कूल छोड़ने के चरण में विद्यार्थियों की दक्षता का प्रमाणन राज्य में प्रमाणन/परीक्षा बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, जो इस उद्देश्य के लिए सार्थक परीक्षा आयोजित करेगा; हालाँकि, पाठ्यचर्या (पाठ्यपुस्तकों सहित)को निर्धारित करने में उनकी कोई भूमिका नहीं होगी।

च. **निजी परोपकारी स्कूलों** को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और नियामक बोझ से मुक्त किया जाना चाहिए। इसी प्रकार निजी स्कूल संचालकों, जो वाणिज्यिक उद्यमों के रूप में स्कूलों को चलाने की कोशिश करते हैं, उन पर रोक लगाई जाएगी।

छ. **सार्वजनिक और निजी स्कूलों को एक ही** मानदंड, बेंचमार्क और प्रक्रियाओं पर **विनियमित किया जाएगा**। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सार्वजनिक हित-भावना वाले निजी स्कूलों को निजी परोपकारी पहल के साथ प्रोत्साहन मिलें।

ज. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद प्रत्येक राज्य के लिए एक **स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रत्यायन ढांचे** का विकास करेगी। इसका उपयोग राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायन व्यवस्था के आधार पर स्कूलों के नियमन के लिए किया जाएगा।

झ. स्कूलों और स्कूल व्यवस्थाओं में पाठ्यचर्या का चयन करने का लचीलापन होगा, जिसे राष्ट्रीय / राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा(ओं) के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

ञ. सभी निकाय और संस्थाएँ वार्षिक के साथ-साथ मध्यावधि (3-5 वर्ष) की योजनाओं का विकास करेंगी। शीर्ष प्रशासन निकाय द्वारा एक व्यवस्थित समीक्षा प्रक्रिया रखी जाएगी।

ट. विद्यार्थी अधिगम स्तरों का नमूना-आधारित **राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण**, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी रखा जाएगा। राज्य जनगणना आधारित राज्य मूल्यांकन सर्वेक्षण भी जारी रख सकते हैं।

ठ. चूँकि **शिक्षा का अधिकार** स्कूल विनियमन और शासन के लिए वैधानिक मेरूदंड है, इसकी समीक्षा की जाएगी। इस नीति को सक्षम करने के लिए किए गए उपयुक्त संशोधनों के साथ-साथ इसे अधिनियमित किए जाने के बाद से शिक्षा के आधार पर उपयुक्त सुधारों को भी शामिल किया जाएगा।

उच्च शिक्षा

1. नई संस्थागत संरचना

उद्देश्य: उच्च शिक्षा व्यवस्था को सुधारना, देश भर में विश्व स्तर के संस्थाओं का निर्माण करना- 2035 तक सकल नामांकन अनुपात को कम से कम 50% तक बढ़ाना।

उच्च शिक्षा के लिए नए विज़न और संरचना की परिकल्पना उच्च स्तरीय एवं बेहतर संसाधनों से युक्त जीवंत बहु-विषयक संस्थाओं के साथ की गई है। वर्तमान 800 विश्वविद्यालयों और 40,000 कॉलेजों को लगभग 15,000 उत्कृष्ट संस्थाओं में समेकित किया जाएगा।

क. यह नई उच्च शिक्षा संरचना शिक्षण और अनुसंधान के लिए **उच्च स्तरीय एवं बेहतर संसाधनों से युक्त, जीवंत और स्वायत्त बहुविषयक** संस्थाओं का निर्माण करेगी, जो मज़बूत शैक्षिक समुदायों का निर्माण करते हुए पहुँच और क्षमता में काफ़ी विस्तार करेगी। सभी उच्च शिक्षा संस्थाएँ सभी विषय-क्षेत्रों और क्षेत्रों में शिक्षण कार्यक्रमों के साथ बहु-विषयक संस्था बन जाएंगे।

ख. फोकस में अंतर के आधार पर तीन तरह की संस्थाएँ होंगीं - सभी उच्च गुणवत्ता के होंगे

- टाइप 1 जो सभी विषयों में विश्व स्तरीय अनुसंधान और उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण पर केंद्रित हैं
- टाइप 2 जो अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान के साथ विषयों में उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण पर केंद्रित हैं
- टाइप 3 जो स्नातक शिक्षा पर केंद्रित विषयों में उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण पर केंद्रित हैं

ग. यह पुनः संरचना मौजूदा संस्थाओं को मज़बूत और पुनर्गठित करके और नए निर्माण करके, व्यवस्थित और सोच-समझकर किया जाएगा। इस नई संस्थागत वास्तुकला को उत्प्रेरित करने के लिए **मिशन नालंदा और मिशन तक्षशिला** का शुभारंभ किया जाएगा। कुछ गतिवर्धक संस्थाएँ भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ़ लिबरल आर्ट्स / बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय इन मिशनों के हिस्से के रूप में स्थापित किए जा सकते हैं।

घ॰ सभी संस्थाएँ या तो **विश्वविद्यालय** होंगे या **डिग्री देने वाले स्वायत्त कॉलेज** होंगे।

ङ. निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से सार्वजनिक उच्च शिक्षा का विस्तार करने और इसे महत्वपूर्ण बनाने के लिए **पर्याप्त सार्वजनिक निवेश** होगा।

च. **सुविधावंचित भौगोलिक क्षेत्रों** में उच्च गुणवत्ता वाली संस्थाओं को विकसित करना प्राथमिकता होगी।

छ. यह नया संस्थागत संरचना पेशेवर क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों को शामिल करेगा।

2. उच्च गुणवत्तापूर्ण उदार शिक्षा पर फोकस

उद्देश्य: चुनिंदा विषयों और क्षेत्रों में परिशुद्ध विशेषज्ञता के साथ सभी विद्यार्थियों के संपूर्णतावादी विकास की नींव के रूप में एक अधिक कल्पनाशील और व्यापक-आधार उदार शिक्षा की ओर बढ़ना।

सभी स्नातक कार्यक्रमों की कल्पना और लचीली पाठयचर्यात्मक संरचनाओं, अध्ययन के विषयों के रचनात्मक संयोजन और एकीकृत कार्यक्रमों के भीतर कई निकास और प्रवेश बिंदु, चुनिंदा विषयों और क्षेत्रों में परिशुद्ध विशेषज्ञता प्रदान करने के माध्यम से संपूर्णतावादी विकास के लिए नींव के रूप में एक उदार शिक्षा दृष्टिकोण की विशेषता होगी।

क. संवैधानिक मूल्यों को विकसित करने के उद्देश्य से व्यापक बहु-विषयक अवसर के साथ **उदार शिक्षा** उच्च शिक्षा का आधार होगी। यह महत्वपूर्ण जीवन क्षमताओं, परिशुद्ध विषयक समझ और सामाजिक-नैतिक जुड़ाव के एक आचरण का विकास करेगा। पेशेवर और व्यावसायिक क्षेत्रों सहित सभी विषयों, कार्यक्रमों और क्षेत्रों में स्नातक स्तर पर यही दृष्टिकोण होगा।

ख. केंद्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के मॉडल और मानकों पर दस भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ़ लिबरल आर्ट्स / बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय स्थापित करेगा।

ग. **कल्पनाशील और लचीली पाठयचर्या संरचनाएँ** अध्ययन के विषयों के रचनात्मक संयोजनों को सक्षम बनाती हैं, और विद्यार्थियों के लिए कई उपयोगी निकास और प्रवेश बिंदु प्रदान करती हैं, इस प्रकार वर्तमान में प्रचलित कठोर सीमाओं को ध्वस्त कर जीवन भर सीखने की संभावनाएं पैदा करती हैं। स्नातक (स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट) स्तर की शिक्षा परिशुद्ध अनुसंधान-आधारित विशेषज्ञता प्रदान करेगी।

घ. स्नातक की डिग्री 3 या 4 साल की अवधि की हो सकती है। संस्थाएं इस अवधि के भीतर **बहु निकास के विकल्प** प्रदान कर सकते हैं, उचित प्रमाणीकरण के साथ, एक विषय-क्षेत्र या क्षेत्र में एक उन्नत डिप्लोमा (व्यावसायिक और पेशेवर क्षेत्रों सहित) 2 वर्षों का अध्ययन करने के बाद या 1 वर्ष पूरा करने के बाद एक प्रमाण पत्र।

ङ. 4 साल का कार्यक्रम छात्रों को उदार शिक्षा की पूरी श्रृंखला का अनुभव करने का अवसर प्रदान करेगा। इसे चुनिंदा 'मेजर' और 'माइनर' में बैचलर ऑफ लिबरल आर्ट्स कहा जाएगा। 3-वर्षीय कार्यक्रम एक स्नातक की डिग्री में परिणत होगा। यदि विद्यार्थी शोध कार्य करते हैं, तो दोनों कार्यक्रमों में 'ऑनर्स के साथ' डिग्री हो सकती है।

च. कुछ पेशेवर विषयधाराओं (जैसे शिक्षक शिक्षा, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून) में केवल स्नातक की डिग्री के लिए 4 साल की अवधि (या अधिक) हो सकती है।

छ. संस्थाओं के पास मास्टर्स प्रोग्रामों के विभिन्न डिज़ाइन प्रदान करने का लचीलापन होगा, अर्थात, 2 साल का प्रोग्राम हो सकता है जिसमें द्वितीय वर्ष पूरी तरह से अनुसंधान के लिए समर्पित है। जिन लोगों ने 3-वर्षीय स्नातक प्रोग्राम पूरा किया है; उन लोगों के लिए एक एकीकृत 5-वर्षीय मास्टर्स प्रोग्राम हो सकता है; और ऑनर्स के साथ 4 साल की स्नातक की डिग्री पूरी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, 1 साल का मास्टर्स प्रोग्राम हो सकता है।

ज. पीएचडी प्रारंभ करने के लिए या तो मास्टर डिग्री या ऑनर्स के साथ 4 साल की स्नातक की डिग्री की आवश्यकता होगी। एम॰ फिल॰ प्रोग्राम बंद कर दिया जाएगा।

3. सीखने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना

उद्देश्य : आनंदपूर्ण, गहन और ज़रूरतों को पूरा करने वाली पाठ्यचर्या, प्रभावी व रुचिपूर्ण शिक्षा के तौर तरीके, विद्यार्थियों के चहुँमुखी विकास और अनुकूलतम अधिगम में सहायता करना।

उच्च शिक्षा में पाठ्यचर्या और शिक्षाशास्त्र को तथ्यों की रटंत प्रणाली से दूर जाना होगा और युवा लोगों को लोकतंत्र के सक्रिय नागरिकों और किसी भी क्षेत्र में सफल पेशेवरों के रूप में योगदान करने में मदद करने के लिए यांत्रिक प्रक्रियाएं सहायक होंगी।

क. जीवंत और गहन पाठ्यक्रम का विकास **राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अर्हता की रूपरेखा** द्वारा निर्देशित किया जाएगा जो विभिन्न क्षेत्रों और विषयों में प्रस्तुत डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणन के साथ सीखने के प्रतिफल को रेखांकित करेगा। अकादमिक और पेशेवर/व्यावसायिक क्षेत्रों में समतुल्यता और गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए इस ढांचे को राष्ट्रीय कौशल अर्हता की रूपरेखा के साथ जोड़ा जाएगा।

ख. लचीलेपन और नवाचार की अनुमति देने के लिए **च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम** को संशोधित किया जाएगा और इसमें सुधार किया जाएगा।

ग. प्रभावशाली शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियों के माध्यम से अधिगम के अनुभवों को उपलब्ध करवाया जाएगा। सभी विद्यार्थियों को सामाजिक जुड़ाव के लिए सार्थक अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। न केवल शैक्षणिक पहलुओं पर बल्कि व्यापक क्षमताओं और मनोवृत्ति पर भी विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा।

घ. विद्यार्थियों को बेहतर प्रतिफल प्राप्त करने में मदद के लिए **शैक्षिक, वित्तीय और भावनात्मक सहायता** उपलब्ध होगी।

ड. **मुक्त और दूरस्थ अधिगम** का विस्तार किया जाएगा जो सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ऑनलाइन डिजिटल रिपॉजिटरी, अनुसंधान के लिए निधि, बेहतर विद्यार्थी सेवाओं, MOOCs की क्रेडिट-आधारित मान्यता आदि जैसे उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए किए जाएंगे कि यह उच्चतम गुणवत्तापूर्ण कक्षा कार्यक्रमों के बराबर सुनिश्चित हो सकें।

च. शिक्षा का **अंतर्राष्ट्रीयकरण** संस्थागत सहयोग और विद्यार्थी व संकाय गतिशीलता दोनों के माध्यम से उत्प्रेरित होगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के लिए चयनित भारतीय विश्वविद्यालयों के भीतर एक अंतर-विश्वविद्यालयी केंद्र की स्थापना की जाएगी।

4. ऊर्जावान, जुडाव रखने वाले और सक्षम संकाय

उद्देश्य : उच्च सक्षमता और गहन प्रतिबद्धता वाले, पढ़ाने और शोध में उत्कृष्टता के लिए ऊर्जाशील सशक्त संकाय।

उच्च शिक्षा संस्थाओं की सफलता में उसके संकाय सदस्यों की गुणवत्ता और नियुक्ति सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं। यह नीति संकाय को उच्च शिक्षा के केंद्र में बनाए रखती है।

क. प्रत्येक संस्था के पास पर्याप्त संकाय होगी, जो यह सुनिश्चित करेगी कि सभी कार्यक्रम, विषय और क्षेत्र की जरूरतें पूरी हो, वांछनीय विद्यार्थी शिक्षक अनुपात (30:1 से अधिक नहीं) उपलब्ध रहे और विविधता सुनिश्चित की जाएगी।

ख. तदर्थ, संविदा नियुक्तियों के प्रचलित उपागम तुरंत रोक दिए जाएंगे।

ग. संकाय भर्ती शैक्षिक विशेषज्ञता, शिक्षण दक्षताओं और सार्वजनिक सेवा की मनोवृत्ति पर आधारित होंगी।

घ. संकाय के लिए एक उचित रूप से डिजाइन की गई स्थायी रोज़गार (कार्यकाल) ट्रैक व्यवस्था शुरू की जाएगी - यह 2030 तक निजी संस्थाओं सहित सभी संस्थाओं में पूरी तरह कार्यरूप में आ जाएगी।

ड. संकाय को उनके पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्यात्मक विकल्प बनाने के लिए सशक्त बनाया जाएगा और वे शैक्षिक स्वतंत्रता के साथ अनुसंधान को आगे बढ़ाएँगे।

च. सभी संस्था संकाय के लिए एक सतत् दक्षता संवर्द्धन योजना विकसित करेंगे और इसके कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया निर्धारित करेंगे। इस योजना में क्षेत्र / विषय, शिक्षण शास्त्रीय क्षमता, अनुसंधान और व्यवहार में इसके योगदान को शामिल होना चाहिए।

छ. प्रत्येक संस्था की संस्थागत विकास योजना में संकाय भर्ती और विकास, कैरियर की प्रगति, मुआवज़ा प्रबंधन भाग होंगे।

5. सशक्त गवर्नेंस (शासन) और स्वायत्तता

उद्देश्य : सक्षम और नीतिपरक नेतृत्व के साथ स्वतंत्र, स्व-शासित उच्च शिक्षा संस्थाएँ।

उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुसंधान के लिए पोषण-संस्कृति में बौद्धिक उर्वर की आवश्यकता होती है - उच्च शिक्षा संस्थाओं का शासन इस संस्कृति को निर्धारित करता है।

क. उच्च शिक्षा संस्थाओं का संचालन पूर्ण शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता के साथ **स्वतंत्र बोर्डों** द्वारा किया जाएगा। बोर्ड का गठन और नियुक्ति, अध्यक्ष और कुलपति / निदेशक (मुख्य कार्यकारी) सुनिश्चित करेंगे कि सरकार सहित बाहरी हस्तक्षेप को खत्म किया जाए, और संस्था के प्रति प्रतिबद्धता के साथ उच्च क्षमता वाले लोगों की नियुक्ति को सक्षम बनाया जाए।

ख. सभी उच्च शिक्षा संस्थाएँ **स्वायत्त स्वशासी संस्थाएँ** बन जाएँगी और 'संबद्धता' की प्रथा बंद कर दी जाएगी। 'संबद्ध कॉलेज' स्वायत्त डिग्री देने वाले कॉलेजों में विकसित होंगे और 'संबद्ध विश्वविद्यालयों' का जीवंत बहु-विषयक संस्थाओं में विकास होगा।

ग. **निजी और सार्वजनिक संस्थाओं** को नियामक शासन द्वारा **समान** माना जाएगा। शिक्षा का व्यावसायीकरण बंद हो जाएगा और लोकोपकारी प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

घ. **स्वायत्तता को व्यवस्था में समाहित किया जाएगा** - इसकी संस्कृति, संरचना और तंत्र। संकाय के पास शैक्षणिक स्वतंत्रता और पाठ्यचर्या-सशक्तिकरण होगी जिसमें शिक्षा-शास्त्रीय उपागम, विद्यार्थी का आकलन और शोध शामिल होंगे। संस्थाओं के पास प्रशासनिक और शैक्षणिक स्वायत्ता होगी। इसमें कार्यक्रमों को शुरू करने और कार्यक्रम चलाने की स्वतंत्रता, पाठ्यचर्या निर्धारित करना, विद्यार्थी-क्षमता का निर्धारण करना, संसाधन की आवश्यकताएँ निर्धारित करना और उनकी आंतरिक व्यवस्था को विकसित करना शामिल करना है जिसमें गवर्नेंस (शासन) और जन प्रबंधन व्यवस्था निहित है। उच्च शिक्षा संस्थानों को वास्तव में स्वायत्त, स्वतंत्र और स्वशासी निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा।

6. नियामक व्यवस्था का रूपांतरण

उद्देश्य : उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता और सार्वजनिक सेवा भाव को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी, सक्रिय और उत्तरदायी विनियमन।

बेहतर गवर्नेंस (सुशासन) के साथ सेवा भाव, समता, उत्कृष्टता, वित्तीय स्थिरता और सत्यनिष्ठता सुनिश्चित करने के लिए विनियमन उत्तरदायी और न्यूनतमवादी होगा।

क. **मानक सेटिंग, वित्तपोषण, प्रत्यायन और विनियमन** के कार्य पृथक होंगे और शक्ति के केंद्रीकरण और हितों के टकराव को हटाते हुए **स्वतंत्र निकायों द्वारा संचालित** किए जाएंगे।

ख. **राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक प्राधिकरण** पेशेवर शिक्षा सहित संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए एकमात्र नियामक होगा। सभी मौजूदा नियामक निकाय पेशेवर मानक सेटिंग निकायों में रूपांतरित हो जाएंगे।

ग. वर्तमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा अनुदान परिषद में बदल जाएगा।

घ. सामान्य शिक्षा परिषद की स्थापना की जाएगी और 'ग्रेजुएट एटरीब्यूटस' अर्थात् उच्च शिक्षा के लिए 'अपेक्षित सीखने के प्रतिफल' को परिभाषित करने के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अर्हता की रूपरेखा का विकास किया जाएगा।

ड. **बुनियादी मानकों पर प्रत्यायन विनियमन का आधार बनेगा**। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, प्रत्यायन संस्थाओं और प्रक्रिया की देखरेख के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करेगा।

च. **सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थाओं के लिए एक सामान्य नियामक** व्यवस्था होगी। **निजी परोपकारी पहल** को प्रोत्साहित किया जाएगा।

छ. उच्च शिक्षा के राज्य विभाग एक नीति स्तर पर शामिल होंगे; राज्य उच्च शिक्षा परिषदें सहकर्मी सहायता और सर्वोत्तम पद्धति साझा करने की सुविधा प्रदान करेंगी।

शिक्षक शिक्षा

1. गहन शिक्षक तैयारी

उद्देश्य : शिक्षक शिक्षा व्यवस्था को बहुविषयक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से जोड़कर और चार वर्षीय एकीकृत स्नातक डिग्री को स्कूल शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता स्थापित करके यह सुनिश्चित करना कि शिक्षकों को विषय, शिक्षण शास्त्र और व्यवहार में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त हो।

शिक्षण एक नीतिपरक और बौद्धिक रूप से माँग वाला पेशा है। नए शिक्षकों को गहन तैयारी और पेशवर शिक्षकों को निरंतर पेशेवर विकास और शैक्षणिक और पेशेवर सहायता की आवश्यकता होती है।

क. शिक्षक तैयारी के लिए **4 वर्षीय एकीकृत बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम** को स्नातक अध्ययन कार्यक्रम के रूप में बहु-विषयक संस्थाओं में विषय-क्षेत्रों तथा शिक्षण तैयारी पाठ्यक्रमों दोनों के रूप में पेश किया जाएगा। यह चरण-विशिष्ट, विषय-विशिष्ट कार्यक्रम होगा जो शिक्षकों को कला तथा खेलकूद और व्यावसायिक शिक्षा अथवा विशेष शिक्षा पर केंद्रित रखते हुए विद्यालय-पूर्व से लेकर माध्यमिक स्तर (कक्षा 12) तक सभी विषयों के लिए तैयार करेगा।

ख. 4-वर्षीय बी.एड. डिग्री अन्य स्नातक की डिग्री के समतुल्य होगी और 4-वर्षीय बी.एड. वाले विद्यार्थी मास्टर डिग्री लेने के लिए पात्र होंगे।

ग. वर्तमान दो वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम 2030 तक जारी रहेगा। 2030 के बाद, केवल वे संस्था जो 4 साल का शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करते हैं, वे ही 2 साल का कार्यक्रम प्रदान करेंगे। इन कार्यक्रमों की पेशकश उन लोगों को की जाएगी, जिनके पास स्नातक डिग्री हों।

घ. 2030 के बाद किसी अन्य प्रकार के सेवा-पूर्व शिक्षक तैयारी कार्यक्रम की पेशकश नहीं की जाएगी।

ड. शिक्षक शिक्षा केवल **बहु-विषयक संस्थाओं** द्वारा प्रदान की जाएगी। उत्तम सेवा -पूर्व शिक्षक तैयारी के लिए शैक्षिक परिपेक्ष्य, विषय और शिक्षाशास्त्र की समझ के साथ मज़बूत सिद्धांत-व्यवहार की गहन सैद्धांतिक विषयों में विशेषज्ञता की आवश्यकता है - यह शिक्षा के कोर क्षेत्रों में विशेषज्ञों और स्कूलों के नेटवर्क के साथ अन्य सभी स्कूल विषयों में एक श्रृंखला की उपलब्धता की मांग करता है।

च. घटिया और बदहाल शिक्षक शिक्षण संस्थान बंद हो जाएँगे।

पेशेवर शिक्षा

1. उच्च शिक्षा में पेशेवर शिक्षा का पुन:एकीकरण करना, पेशेवर शिक्षा का पुनरोद्धार करना

उद्देश्य : पेशेवर शिक्षा का उद्देश्य समग्रतावादी उपागम का निर्माण करना जो व्यापक आधार वाली दक्षताओं और 21 वीं सदी के लिहाज से जरूरी कौशलों, सामाजिक मानवीय संदर्भों की समझ और मजबूत नैतिक आदर्श के साथ-साथ उत्कृष्ट पेशेवर क्षमताओं के विकास को सुनिश्चित करना।

पेशेवरों की तैयारी में शिक्षा में नैतिकता और लोक प्रयोजन की महत्ता, विषय - क्षेत्र में शिक्षा और व्यवहार के लिए शिक्षा शामिल होनी चाहिए - ऐसा होने के लिए, पेशेवर शिक्षा को विशिष्टता के अलगाव में नहीं होना चाहिए।

क. व्यावसायिक शिक्षा समग्र **उच्च शिक्षा व्यवस्था का एक अभिन्न अंग होगी**। स्टैंड-अलोन तकनीकी विश्वविद्यालयों, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयों, कानूनी और कृषि विश्वविद्यालयों या इन या अन्य क्षेत्रों में संस्थाओं को स्थापित करने के प्रचलन को बंद कर दिया जाएगा। सभी संस्थाएँ जो पेशेवर या सामान्य शिक्षा प्रदान करती हैं, 2030 तक दोनों प्रकार से शिक्षा को व्यवस्थित रूप से संस्थाओं में विकसित करना होगा।

ख. **कृषि शिक्षा** को संबद्ध विषयों के साथ पुनर्जीवित किया जाएगा। यद्यपि देश के सभी विश्वविद्यालयों में लगभग 9% कृषि विश्वविद्यालय शामिल हैं, कृषि और संबद्ध विज्ञानों में नामांकन उच्च शिक्षा में नामांकन के 1% से कम है। कृषि उत्पादकता की क्षमता एवं गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बेहतर एवं कुशल स्नातकों और तकनीशियनों, नवीन अनुसंधान और बाजार-आधारित विस्तार से जुड़ी प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सुधार के लिए कृषि और संबद्ध विषयों की **क्षमता** और गुणवत्ता दोनों में सुधार होना चाहिए। सामान्य शिक्षा के साथ एकीकृत कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि पेशेवरों और पशु चिकित्सा विज्ञान में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। स्थानीय ज्ञान और पारंपरिक ज्ञान को समझने और उपयोग करने की क्षमता वाले पेशेवरों को विकसित करना, उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ, जटिल मुद्दों पर संज्ञान लेने जैसे भूमि उत्पादकता में गिरावट, जलवायु परिवर्तन, हमारी बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्य पर्याप्तता, आदि को ध्यान में रखते हुए कृषि शिक्षा के पूरे डिज़ाइन को बदल दिया जाएगा। कृषि शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थाओं को सीधे **स्थानीय समुदाय को लाभान्वित** करना चाहिए; प्रौद्योगिकी ऊष्मायन और प्रसार को बढ़ावा देने के लिए कृषि प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करना एक तरीका हो सकता है।

ग. **कानूनी शिक्षा** कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया जाएगा। सर्वोत्तम तरीकों को अपनाते हुए और नयी प्रौद्योगिकियों को समाविष्ट करते हुए न्याय तक व्यापक पहुँच और समय पर न्याय के लिए कानून में पेशेवर शिक्षा को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी होना चाहिए। इसके साथ ही यह सूचित और स्पष्ट किया जाना चाहिए कि न्याय के संवैधानिक मूल्यों के साथ आलोकित करते हुए - सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और लोकतंत्र के साधन के माध्यम से कानूनी और मानवीय अधिकारों को राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण के प्रति निर्देशित करना चाहिए। **कानूनी अध्ययन के लिए पाठ्यचर्या** को साक्ष्य आधारित तरीके, कानूनी सोच का इतिहास, न्याय के सिद्धांत, न्यायशास्त्र प्रक्रिया और अन्य संबंधित सामग्री को सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों के साथ उचित और पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित करना चाहिए।

कानून शिक्षा प्रदान करने वाले राज्य संस्थाओं को भावी वकीलों और न्यायाधीशों के लिए **द्विभाषी शिक्षा** - अंग्रेज़ी में और राज्य की भाषा में जिसमें कानून अध्ययन कार्यक्रम स्थित है, शिक्षा प्रदान करने पर विचार करना चाहिए। यह कानूनी परिणामों में देरी को कम करने के लिए है, परिणामस्वरूप अनुवाद की आवश्यकता है।

घ. **हेल्थकेयर (स्वास्थ्य की देखभाल) शिक्षा** पर इस प्रकार से पुनर्विचार किया जाएगा जैसे कि इस क्षेत्र में जितनी तरह की भूमिकाएँ लोग निभाते हैं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक कार्यक्रम की अवधि, संरचना और डिज़ाइन को निर्धारित किया जा सके। उदाहरण के लिए, प्रत्येक स्वास्थ्य सेवा प्रक्रिया/मध्यस्थता (उदाहरण के लिए ईसीजी लेने/पढ़ने) के लिए ज़रूरी नहीं कि पूरी तरह से योग्य डॉक्टर की ज़रूरत हो। सभी **एम.बी.बी.एस. स्नातकों के पास** : (i) चिकित्सा कौशल (ii) नैदानिक कौशल (iii) सर्जिकल कौशल और (iv) आपातकालीन कौशल होना चाहिए। प्राथमिक देखभाल और माध्यमिक अस्पताल में काम करने के लिए आवश्यक कौशल के लिए मुख्य रूप से परिभाषित पैरामीटर पर विद्यार्थियों को नियमित अंतराल पर अच्छी तरह से मूल्यांकित किया जाएगा। एमबीबीएस पाठ्यक्रम के **पहले वर्ष या दूसरे** वर्ष को, **सामान्य अवधि के रूप में, सभी विज्ञान स्नातकों के लिए डिजाइन** किया जाएगा जिसके बाद वे एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिंग या अन्य विशेषज्ञताओं को कर सकते हैं। अन्य चिकित्सा विषयों से स्नातक जैसे नर्सिंग, डेंटल आदि को भी एमबीबीएस कोर्स में पार्श्विक प्रविष्टि की अनुमति दी जाएगी : एक चिकित्सा शिक्षा अर्हता की रूपरेखा इसकी सुविधा प्रदान करेगा। **नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता** में सुधार किया जाएगा; नर्सिंग और अन्य उप विषय-धाराओं के लिए एक राष्ट्रीय मान्यता निकाय बनाया जाएगा। यह देखते हुए कि हमारे लोग स्वास्थ्य सेवा में **बहुलवादी विकल्पों** का उपयोग करते हैं, हमारी स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली एकीकृत होनी चाहिए - इसका तात्पर्य होगा, उदाहरणार्थ एलोपैथिक चिकित्सा शिक्षा के सभी विद्यार्थियों को आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी की मूल समझ (आयुष) हो, और इसके विलोमत: भी स्थिति होनी चाहिए। सभी स्वास्थ्य सेवा शिक्षा में **निवारक स्वास्थ्य सेवा और सामुदायिक औषधि** पर बहुत अधिक बल दिया जाएगा।

ड. **तकनीकी शिक्षा** विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है, क्योंकि ये विषय न तो पूरी तरह से ज्ञान आधारित हैं और न ही वे पूरी तरह से कौशल आधारित हैं। सभी मानव प्रयासों पर प्रौद्योगिकी के विकास का प्रभाव होता है, तकनीकी शिक्षा और अन्य विषयों के बीच का सिलसिला नष्ट होने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हुए, कई दशकों से न केवल इन क्षेत्रों में योग्य व्यक्तियों की मांग जारी है, अपितु नवाचार और अनुसंधान के लिए उद्योग और संस्थानों के बीच घनिष्ठ सहयोग की अधिक आवश्यकता है। वे पेशेवर जो वर्तमान और भविष्य दोनों में व्यवहार के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय संदर्भों के लिए उत्तरदायी होते हुए उभरते विज्ञान और प्रौद्योगिकी का फायदा उठाने में सक्षम हैं, उन के लिए इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी **कार्यक्रमों को संशोधित किया जाएगा**। विद्यार्थियों को अपने ज्ञान और विभिन्न प्रकार से कौशल के अनुप्रयोग की क्षमता और अक्सर अपरिचत, सेटिंग्स, और व्यावसायिक प्रस्तावों और नैतिकता को विकसित करने के लिए **पाठ्यचर्या का नवीनीकरण होगा**। **नए और उभरते विषय-क्षेत्रों** जैसे- आर्टिफिशियल इंटैलिजैन्स, वृहत डेटा विश्लेषण, आदि पर एक **कार्यनीतिक बल** दिया जाएगा।

संस्थानों के प्रत्यायन/रैंकिंग उद्योग के साथ सहयोग को **प्रोत्साहित** करेगा, उद्योग के अनुभव के साथ संकाय, इंटर्नशिप के अवसरों आदि में वृद्धि होगी।

राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान

1. गुणवतापूर्ण शैक्षिक अनुसंधान को प्रेरित करना

उद्देश्य : देशभर में सभी शैक्षिक विषयों में अनुसंधान और नवाचारों को प्रेरित और प्रोत्साहित करना, साथ ही विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अनुसंधान को शुरू करने और विकसित करने पर विशेष ध्यान देना और इसके लिए वित्तपोषण हेतु उच्च स्तरीय सहकर्मी समीक्षा, मेंटरिंग और सहयोग के द्वारा एक प्रेरक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना।

अनुसंधान और नवाचार वृहत और जीवंत अर्थव्यवस्था को विकसित करने और बनाए रखने, समाज का उत्थान, और अधिक से अधिक ऊँचाइयों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्र को प्रेरित करने हेतु केंद्र बिंदु हैं। आज दुनिया में होने वाले तीव्र परिवर्तन- जलवायु, प्रौद्योगिकी, जनसंख्या की गतिशीलता और इसी प्रकार - एक मज़बूत अनुसंधान व्यवस्था पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण बनानी है।

क. राष्ट्रीय अनुसंधान फ़ाउंडेशन की स्थापना भारत सरकार के स्वायत्त निकाय के रूप में संसद के अधिनियम के माध्यम से की जाएगी। इसे रु 20,000 करोड़ (जीडीपी का 0.1%) का वार्षिक अनुदान दिया जाएगा। इसे देश की गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान की क्षमता के रूप में अगले दशक तक उत्तरोत्तर बढ़ाया जाएगा।

ख. फ़ाउंडेशन के काम के प्राथमिक दायरे में शामिल होंगे-

- प्रतिस्पर्धा, पीयर रिव्यू आधारित प्रक्रिया के माध्यम से शैक्षणिक परिदृश्य में सभी विषयों में अनुसंधान को वित्तपोषण प्रदान करना।
- देश भर के शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसंधान क्षमता का निर्माण करना।
- शोधकर्ताओं, सरकार और उद्योग के बीच लाभकारी संबंध बनाना जो यह सुनिश्चित करे कि सबसे ज़रूरी राष्ट्रीय मुद्दों पर शोध किया जाए और जनता की भलाई के लिए नवीनतम अनुसंधान सफलतापूर्वक लागू किए जाएं।
- विशेष पुरस्कार और सेमिनार के माध्यम से उत्कृष्ट अनुसंधान को पहचानना

ग. इस फ़ाउंडेशन के पास आरंभ में चार प्रमुख प्रभाग होंगे - विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान और कला तथा मानविकी।

अतिरिक्त प्रमुख फोकस क्षेत्र

1. शैक्षिक प्रौद्योगिकी

उद्देश्य : शिक्षकों की तैयारी और विकास का समर्थन करने, शिक्षण-अधिगम और मूल्यांकन प्रक्रिया को बेहतर बनाने, सुविधा वंचित समूह तक शिक्षा की पहुँच को सुलभ बनाने, और शैक्षिक योजना, प्रशासन और प्रबंधन की प्रक्रिया सरल और कारगर बनाने सहित शिक्षा के सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का उपयुक्त एकीकरण करना।

इस नीति का लक्ष्य यह देखना है कि निम्न के लिए प्रौद्योगिकी उचित रूप से शिक्षा के सभी स्तरों में एकीकरण के लिए : i) शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन प्रक्रियाओं में सुधार कर रही है; ii) शिक्षकों की तैयारी और उनके निरंतर व्यावसायिक विकास का समर्थन कर रही है। iii) सुविधा वंचित समूह तक शैक्षिक पहुँच बढ़ा रही है और iv) शिक्षा योजना, प्रशासन और प्रबंधन को सुव्यवस्थित कर रही है।

क. प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा प्रेरण, परिनियोजन और उपयोग पर निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करने के लिए **राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम**, एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। शिक्षण संस्थाओं, राज्य और केंद्र सरकारों के नेतृत्व को तैयार करने, और अन्य हितधारकों को नवीनतम ज्ञान और अनुसंधान के साथ एक दूसरे के साथ सर्वोत्तम पद्धतियों के परामर्श और साझेदारी के अवसर उपलब्ध कराएगा।

ख). शैक्षिक प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी एकीकरण (जैसे अनुवाद में सहायता, शैक्षणिक सहायता के रूप में कार्य करना, सतत् व्यावसायिक विकास, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, आदि की सुविधा) को डिजिटल रिपॉजिटरी, शिक्षक तैयारी के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने, योग्य समर्थन और अनुसंधान के माध्यम से अनुकूलित किया जाएगा। अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के उपयोग का समर्थन करने के लिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होंगे।

ग). शैक्षिक आँकड़ों के राष्ट्रीय भंडार संस्थान शिक्षकों और विद्यार्थियों से संबंधित सभी रिकॉर्ड डिजिटल रूप में रखेंगे।

2. व्यावसायिक शिक्षा

उद्देश्य : व्यावसायिक शिक्षा को सभी शैक्षिक संस्थाओं - स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय - के साथ एकीकृत करना। वर्ष 2025 तक कम से कम 50% विद्यार्थियों तक व्यावसायिक शिक्षा को पहुँचाना।

भारत के जनसांख्यिकीय लाभ की पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने के लिए, 2025 तक स्कूल और उच्च शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से यह नीति कम से कम 50% शिक्षार्थियों के कौशल विकास को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित करती है।

क. अगले दशक तक व्यावसायिक शिक्षा को चरणबद्ध तरीके से **सभी शिक्षा संस्थाओं में एकीकृत** किया जाएगा। फोकस क्षेत्रों को कौशल अंतराल विश्लेषण और स्थानीय अवसरों की मैपिंग के आधार पर चुना जाएगा और तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा उदार शिक्षा के बृहत विज़न का हिस्सा होगी। व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए राष्ट्रीय समिति इस प्रयास की देखरेख करेगी।

ख. यह पारगमन शैक्षिक संस्थाओं, तकनीकी संस्थाओं और उद्योग के बीच सहयोग के माध्यम से एकीकरण के लिए एक अलग कोष रखते हुए किया जाएगा।

ग. प्रत्येक विषय-क्षेत्रों/व्यवसायों/पेशों के लिए राष्ट्रीय कौशल अर्हता की रूपरेखा आगे विस्तृत होगी। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन द्वारा बनाये गए व्यावसायों के अंतर्राष्ट्रीय मानक वर्गीकरण के साथ भारतीय मानकों का सामंजस्य किया जाएगा। रूपरेखा **पूर्व अधिगम की मान्यता** के लिए आधार प्रदान करेगी। इसके माध्यम से, औपचारिक व्यवस्था से ड्रॉपआउट को फ्रेमवर्क पर संबंधित स्तर के साथ उनके व्यावहारिक अनुभव को संरेखित करते हुए फिर से स्थापित किया जाएगा। फ्रेमवर्क सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा में गतिशीलता की सुविधा भी प्रदान करेगा।

घ. **2030-35 तक** व्यावसायिक शिक्षा को **स्नातक स्तर पर नामांकन** के 50% की क्षमता तक बढ़ाया जाएगा। उच्च शिक्षा संस्थाएँ स्वयं या उद्योग के साथ साझेदारी में व्यावसायिक शिक्षा दे सकते हैं।

ड. उच्च शिक्षा संस्थाओं द्वारा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षुता प्रदान करने के लिए **मॉडलों** का भी प्रयोग किया जा सकता हैं। उद्योगों के साथ साझेदारी में उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में उष्मायन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

1. **'लोक विद्या',** भारत में विकसित ज्ञान, विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में एकीकरण के माध्यम से सुलभ बनाई जाएगी।

3. **प्रौढ़ शिक्षा**

उद्देश्य : सन् 2030 तक युवा एवं प्रौढ़ साक्षरता दर को 100 प्रतिशत पहुँचाना और प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा कार्यक्रम को प्रर्याप्त विस्तार देना।

साक्षरता और बुनियादी शिक्षा व्यक्तिगत, नागरिक, आर्थिक और जीवनपर्यंत सीखने के अवसर की भागीदारी को सक्षम बनाती है - यह प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। तथापि, हमारी युवा और प्रौढ़ आबादी का एक अस्वीकार्य अनुपात अभी भी निरक्षर है।

क. प्रौढ़ शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पांच व्यापक क्षेत्रों को समाविष्ट करने के लिए विकसित की जाएगी :- मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल, बुनियादी शिक्षा और सतत शिक्षा। इस फ्रेमवर्क में पाठ्यपुस्तकें और शिक्षण-सामग्री के साथ मूल्यांकन और प्रमाणन के लिए मानदंड का विकास जोड़ा जाएगा।

ख. प्रौढ़ शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा ट्यूटर्स कार्यक्रम के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा केंद्र के प्रबंधक और प्रशिक्षकों का एक **काडर,** साथ ही साथ एक बड़ी टीम एक के लिए एक ट्यूटर्स पद्धति द्वारा बनाई जाएगी।

ग. **विद्यमान उपागम और कार्यक्रम** को प्रतिभागियों की पहचान करने के लिए सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रोत्साहित किया जाएगा - समुदाय का प्रत्येक साक्षर सदस्य कम से कम एक व्यक्ति को पढ़ाए, एक महत्वपूर्ण रणनीति होगी। **बड़े पैमाने पर जन जागरूकता** उत्पन्न की जाएगी। **महिलाओं की साक्षरता** पर विशेष ज़ोर दिया जाएगा।

4. भारतीय भाषाओं का प्रचार

उद्देश्य: सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण, विकास और जीवंतता सुनिश्चित करना।

प्रत्येक क्षेत्र की संस्कृति और परंपराओं का सही समावेश और संरक्षण, और स्कूलों में सभी विद्यार्थियों द्वारा सही समझ को केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब सभी आदिवासी भाषाओं सहित भारतीय भाषाओं के लिए उपयुक्त सम्मान दिया जाए। इस प्रकार यह वास्तव में भारत की समृद्ध भाषाओं और साहित्य को संरक्षित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

क. देश भर में सुदृढ़ भारतीय भाषा और साहित्य कार्यक्रमों के माध्यम से, शिक्षकों और संकाय की भर्ती, अनुसंधान पर केंद्रित और शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देकर भारतीय भाषाओं में भाषा, साहित्य, वैज्ञानिक शब्दावली पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

ख. शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए विद्यमान राष्ट्रीय संस्थानों को मज़बूत बनाया जाएगा। पाली, फ़ारसी और प्राकृत के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान भी स्थापित किया जाएगा।

ग. वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का अधिदेश है कि देश भर में एकरूप शब्दावली का विकास करके इसका नवीकरण किया जाए और न केवल भौतिक विज्ञान के लिए बल्कि सभी विषय-क्षेत्रों और क्षेत्रों को शामिल करके इसका और अधिक विस्तार किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग

1. रूपांतरकारी शिक्षा : राष्ट्रीय शिक्षा आयोग

उद्देश्य : नये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नेतृत्व में भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विज़न से क्रियान्वयन, सभी स्तरों पर क्षमता और उत्कृष्ठता प्रदान करने और एक तारतम्यता के साथ काम करने की ओर बढ़ना।

भारतीय शिक्षा व्यवस्था को प्रेरक नेतृत्व की आवश्यकता है जो कि निष्पादन की उत्कृष्टता को भी सुनिश्चित करेगा।

क. राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या द नैशनल कमीशन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में शीर्ष निकाय के रूप में गठित किया जाएगा।

ख. केंद्रीय शिक्षा मंत्री दिन-प्रतिदिन के मामलों से संबंधित प्रत्यक्ष ज़िम्मेदारियों के साथ उपाध्यक्ष होंगे।

ग. **आयोग में** प्रख्यात शिक्षाविद्, शोधकर्ता, केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के प्रतिनिधि और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित पेशेवर **शामिल होंगे।** आयोग के सभी सदस्य उच्च विशेषज्ञता और अपने क्षेत्रों में सार्वजनिक योगदान में प्रमाणप्राप्त और निर्दोष सत्यनिष्ठ और स्वतंत्र लोग होंगे।

घ. आयोग **भारत में शिक्षा का संरक्षक** होगा। हमारे समाज की विविधता का पोषण करते हुए शिक्षा के एकीकृत राष्ट्रीय विज़न का पुरोधा होगा। यह राष्ट्रीय, राज्य और संस्थागत स्तरों पर सभी संबंधित कार्यकर्ताओं और नेतृत्वकर्ताओं से प्रभावी और समकालिक विज़न और कार्रवाई की सुविधा प्रदान करेगा।

ड़. समन्वय और तालमेल सुनिश्चित करने के लिए आयोग **प्रत्येक राज्य के साथ मिलकर कार्य** करेगा। राज्य शिक्षा के लिए शीर्ष स्तरीय राज्य निकाय गठित कर सकते हैं जिन्हें राज्य शिक्षा आयोग या स्टेट एजुकेशन कमीशन कहा जा सकता है।

शिक्षा का वित्त प्रोषण

1. शिक्षा का वित्त पोषण

क. यह नीति शैक्षिक निवेश को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि शिक्षा के लाभ के रूप में समाज के भविष्य के लिए इससे बेहतर निवेश कोई नहीं है, चूँकि शिक्षा के लाभ संपूर्ण समाज को प्राप्त होते हैं।

ख. अत: यह नीति, केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा पर सार्वजनिक निवेश में 10 वर्षों की अवधि में 20% तक वृद्धि पर विचार करती है।

ग. महत्वपूर्ण घटकों, जैसे कि सीखने के संसाधन, विद्यार्थी सुरक्षा और कल्याण के मामले, पोषण संबंधी सहायता, सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयासों के लिए पर्याप्त मानव संसाधन, शिक्षक विकास और सुविधावंचितों और प्रतिनिधित्वविहीन समूहों के लिए समान उच्च गुणवत्तापूर्ण वाली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता से समझौता नहीं किया जाएगा।

घ. यह नीति, शिक्षा क्षेत्र में निजी परोपकारी कार्यकलाप के लिए नवीकरण, सक्रिय उन्नयन और सहायता करती है। शैक्षिक प्रयासों के लिए गैर लाभकारी संपूर्ण सेवा-भाव वित्तपोषण को विद्यमान संस्थाओं की जटिल आवश्यकताओं के प्रति संचालित किया जाएगा।

ड. एकबारगी खर्च के अलावा, मुख्य रूप से बुनियादी ढाँचे और संसाधन से संबंधित यह नीति निम्नलिखित प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करती है: (i) प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा का विस्तार और सुधार (ii) मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान को सुनिश्चित करना, (iii) स्कूल परिसरों को पर्याप्त और उचित संसाधन, (iv) भोजन और पोषण (नाश्ता और मध्याह्न का भोजन), (v) शिक्षक शिक्षा और शिक्षकों का निरंतर पेशेवर विकास, (vi) महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों का पुनरुद्धार, और (Vii) अनुसंधान।

च. शासन और प्रबंधन निधियों का सुचारू, समय पर और उचित प्रवाह तथा सत्यनिष्ठता के साथ उनके उपयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह भूमिका के स्पष्ट पृथक्करण, सशक्तिकरण और संस्थाओं को स्वायत्तता, नेतृत्व की भूमिका में लोगों की नियुक्ति और प्रबुद्ध निरीक्षण द्वारा संभव किया जाएगा।

छ. शिक्षा के व्यावसायीकरण के मामले को बहु प्रासंगिक मोर्चों जिसमें 'लाइट बट टाइट' नियामक दृष्टिकोण, सार्वजनिक शिक्षा में पर्याप्त निवेश और पारदर्शी सार्वजनिक प्रकटीकरण सहित उत्तम शासन के द्वारा तंत्र के माध्यम से बनाई गई नीति द्वारा निपटाया गया है।

2. आगे का मार्ग

यह नीति समय - सीमा के साथ-साथ विभिन्न निकायों के नेतृत्व वाली प्रमुख कार्रवाइयों की रूपरेखा तैयार करती है, शिक्षा में शामिल सभी निकायों में योजना और तालमेल में सुसंगतता के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए कि नीति को उसकी मूल भावना और इच्छा से लागू किया जा रहा है।

मानव मात्र के प्रत्येक युग में ज्ञान पूर्व की सभी पीढ़ियों के सृजन का द्योतक है जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपना योगदान देती है।

मोनियस स्ट्रिप का मूलभाव ज्ञान की अनवरत, विकासशील और जीवंत प्रकृति है - जिसका न कोई आदि है और न काई अंत।

यह नीति सातत्य के अंग के रूप में ज्ञान के सृजन, संचरण, उपयोग और प्रसार की परिकल्पना करती है जो सातत्य का अंग है।